2025/775

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

उजिन पुत्र नोपाराम बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 136 एलआर मु.नं. 399 वर्ष 25

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
19/9/25	प्रार्थी उजिन पुत्र नोपा राम जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के अनुसार ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 19 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम उजीर्ण पुत्र नोपाराम दर्ज है, जो कि गलत है तथा ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 226 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम उजीर्ण पुत्र नोपा दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम उजिन पुत्र नोपा राम है। प्रार्थी के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड की प्रस्तुत प्रति में प्रार्थी का सही नाम उजिन पुत्र नोपा राम दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम उजीर्ण पुत्र नोपाराम/उजीर्ण पुत्र नोपा के स्थान पर उजिन पुत्र नोपा राम दुरुस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1412 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 19 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम उजीर्ण पुत्र नोपाराम के स्थान पर उजिन पुत्र नोपा राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 226 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम उजीर्ण पुत्र नोपा के स्थान पर उजिन पुत्र नोपा राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1412 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार ... लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली ... होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra Date: 2025.10.08 16:03:01 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद (जिला–सीकर (राज.))

Scanned with OKEN Scanner